

डिक्री व मुकदमें ईबादाई

अ. आदेश 20 नियम 8-7 व्या. प्रक्रियां संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी
पीठासीन अधिकारी-मीनू वर्मा आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या:-63/2019

1. गुरदीप सिंह पुत्र बलवन्तसिंह जाति बावरी निवासी गुड़िया तहसील टिब्बी जिला
हनुमानगढ़। वादी

वनाम्

1. बलवन्तसिंह पुत्र कृष्णसिंह } कौम बावरी निवासीयान गुड़िया तहसील टिब्बी
2. गुरभीतसिंह पुत्र बलवन्तसिंह } जिला हनुमानगढ़।
3. मनदीपकौर पुत्री बलवन्तसिंह पत्नी वीरसिंह जाति बावरी निवासी सहारणी तहसील
टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
4. तहसीलदार राजस्व टिब्बी। प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ मीनू वर्मा आर.ए.एस.के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रोवरू हमारे बहाजरी श्री विरेन्द्रसिंह राठौड़ वकील वादी मिन जामिन मुदई श्री महावीर प्रसाद वर्मा प्रतिवादीगण मिन जानिव मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिग्री दी जाती है कि चकनं 2 एम.के. एस ए के खाता सं 81/73 में 2.024 है 0 आराजी में से 1/6 हिस्सा अर्थात् .337 है 0 व इसी चक के खाता सं 82/72,74 में प 0 न 0 215/223 मु 0 37 किलानं 8/.253 है 0 कुल 0.590 है 0 आराजी का वादी खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर उपरोक्त अनुसार वादी की भूमि का खाता अलग से कायम करने तथा चकनं 2 एमकेएसए के खाता सं 81/73 में से प्रतिवादी सं 1 बलवन्तसिंह का नाम कलमजन व इसी चक के खाता सं 82/72,74 में से प्रतिवादी सं 1 का हिस्सा कम किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन किया जावे। उक्त आराजी पर बैंक ऋण की स्थिति रहन मुक्त होने के पश्चात् राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

निज.....निल.....मुद्लिक.....निल.....वावत्.....निल.....खर्चा
मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयावी तक
.....अदा करें।

वसव्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक.....13.08.2019.....को जारी किया गया।

(मीनू वर्मा)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी